जुर्माना के रूप में ज़ब्त की गई राशि की प्रतिपूर्ति पर ही साइट को बहाल किया जा सकता है।इन दोनों को धारा 8-ए के खाली पढ़ने पर अलग नहीं रखा जा सकता है। दूसरे स्थान पर, दुरुपयोगकर्ता को किरायेदार के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था और उसके खिलाफ फिर से शुरू करने की कार्यवाही का निर्देश दिया जाना था ताकि उसे किराए आदि के भुगतान के रूप में मकान मालिक और किरायेदार के दायित्वों को बाधित किए बिना साइट के उपयोगकर्ता से वंचित किया जा सके।किरायेदार और मकान मालिक दोनों को सुनने का अवसर देकर किराएदार परिसर के संबंध में फिर से शुरू करने और ज़ब्त करने की कार्यवाही की आवश्यकता होती है और यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि किसके कब्जे को फिर से शुरू किया जाना है, किरायेदार से वास्तविक, या किरायेदार और मकान मालिक दोनों से क्रमशः वास्तविक और कानूनी, गलती तय करने पर, और किस पर, और किस अनुपात में ज़ब्त किए गए धन की प्रतिपूर्ति की जानी है।

(13) उपरोक्त टिप्पणियों की अगली कड़ी के रूप में, यह याचिका स्वीकार करने योग्य है और मुख्य आयुक्त, संलग्नक पी. 4 के विवादित आदेश और मुख्य प्रशासक और संपदा अधिकारी के पूर्ववर्ती आदेशों को रद्द करके इसकी अनुमित दी जाती है। चूं कि इसमें शामिल कानू नी प्रश्न किठनाई से मुक्त नहीं थे, इसलिए लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

डी. एस. तेवतिया, जे.-मैं सहमत हूँ। एच. एस. बी

न्यायमूर्ति आर. एन. मितल के समक्ष

ओम प्रकाश सैनी (मास्टर वारंट अधिकारी संख्या 48460)-याचिकाकर्ता

बनाम

दलजीत सिंह,-प्रतिवादी।

सिविल रविशन सं. 669/1980।

3 अप्रैल, 1980।

वायु सेना अधिनियम (1950 का 45)- धारा 32 - पूर्वी पंजाब शहरी किराया प्रतिबंध अधिनियम (1949 का III)-धारा 4,13,15 और 16-धारा 32 का लाभ - चाहे किराया अधिनियम के तहत किराया नियंत्रक - किराया नियंत्रक और अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष लंबित मामलों में वायु सेना के कर्मियों के लिए उपलब्ध हो - चाहे 'अदालतें' धारा 32 के अर्थ के भीतर हों।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि इस शब्द के सख्त अर्थों में एक न्यायालय का गठन करने के लिए, एक आवश्यक शर्त यह है कि न्यायालय को न्यायिक न्यायाधिकरण के कुछ अंशों के अलावा, एक निर्णय या एक निश्चित निर्णय देने की शक्ति होनी चाहिए जो अंतिमता और प्राधिकार प्रदान करती है जो आवश्यक परीक्षण या न्यायिक घोषणा हैं। अधिनियम के तहत किराया नियंत्रक और अपीलीय प्राधिकरण को साक्ष्य दर्ज करने और पक्षों या उनके वकील को स्नने के बाद मकान मालिक और किरायेदार के बीच विवाद का फैसला करने का अधिकार दिया गया है। किराया अधिनियम की धारा 4 के तहत, किराया नियंत्रक उचित किराया निर्धारित कर सकता है और धारा 13 के तहत वह किरायेदार को बेदखल करने का आदेश दे सकता है। धारा 16 के तहत उसके पास गवाहों को ब्लाने और उनकी उपस्थिति को लागू करने और सब्त पेश करने के लिए मजब्र करने की वही शक्तियां हैं जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत अदालत में निहित हैं। वह तथ्य के साथ-साथ कान्न के प्रश्नों को भी तय करता है और उसके पास किराया अधिनियम में उल्लिखित मामलों को तय करने का अधिकार क्षेत्र है। इसके अलावा, किराया अधिनियम की धारा 15 (1) के तहत अपीलीय प्राधिकरण को किराया नियंत्रक के आदेश के खिलाफ अपील और अधिनियम की धारा 15 (5) के तहत उच्च न्यायालय में अपीलीय प्राधिकरण के आदेश के खिलाफ संशोधन का प्रावधान किया गया है। इसलिए किराया नियंत्रक और अपीलीय प्राधिकरण वाय्, बल अधिनियम, 1950 की धारा 32 के अर्थ के भीतर 'न्यायालय' हैं और यदि वाय् सेना का कोई कर्मी उस धारा के संदर्भ में उचित वायु सेना प्राधिकरण

से प्रमाण पत्र दाखिल करता है, तो किराया नियंत्रक उस धारा में विचार के अन्सार मामले का शीघ्रता से निर्णय लेने के लिए बाध्य है।

(पैरा 4, 5 और 8)।

पूर्वी पंजाब शहरी किराया प्रतिबंध अधिनियम, 1949 के अधिनियम, III की धारा 15 (v) के तहत श्री एन. के. बंसल, किराया नियंत्रक, चंडीगढ़ की अदालत के आदेश 6 मार्च, 1980 आवेदन को खारिज करते हुए के संशोधन के लिए याचिका ।

एम. एल. सरीन और आर. एल. सरीन, अधिवक्ताओं के *साथ वरिष्ठ* अधिवक्ता एल. सरीन याचिकाकर्ता की ओर से /

राम लाल लूथरा अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से /

न्याय

न्यायमूर्ति राजेंद्र नाथ मित्तल

- 1. वर्तमान याचिका में निर्धारण के लिए जो एकमात्र प्रश्न उत्पन्न होता है वह यह है कि क्या किराया नियंत्रक वायु सेना अधिनियम, 1950 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 32 के अर्थ के भीतर एक न्यायालय है।
- 2. संक्षेप में तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता, जो हाउस नंबर 3377, सेक्टर 35-डी, चंडीगढ़ के मालिक हैं, ने उस सदन से प्रतिवादी को बाहर निकलने बारे श्री एन. के. बंसल, किराया नियंत्रक, चंडीगढ़ के समक्ष एक आवेदन दायर किया था। बाद में उन्होंने अधिनियम की धारा 32 के संदर्भ में उचित वायु सेना प्राधिकरण से एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया और अपने मुकदमा के निपटारे में प्राथमिकता देने के लिए किराया नियंत्रक के समक्ष एक आवेदन किया। उसमें उन्होंने कहा कि उन्हें 25 फरवरी, 1980 से 19 अप्रैल, 1980 तक मुकदमा मुकदमे कि पैरवी हेतु अवकाश दिया गया था और परिणामस्वरूप प्रार्थना की गई कि मामले की सुनवाई में तेजी लाई जाए और उनकी छुट्टी की अविध के भीतर समाप्त किया जाए जैसा कि उपरोक्त

धारा द्वारा विचार किया गया है। आवेदन को प्रतिवादी द्वारा चुनौती दी गई थी, जिसने अन्य बातों के साथ-साथ यह दलील दी थी कि पूर्वी पंजाब शहरी किराया प्रतिबंध अधिनियम (जिसे इसके बाद 'किराया अधिनियम' के रूप संदर्भित किया गया है) के तहत किराया नियंत्रक एक व्यक्ति नामित था, न कि अदालत और इसलिए, अधिनियम की धारा 32 के प्रावधान उसके समक्ष की कार्यवाही पर लागू नहीं थे। माननीय किराया नियंत्रक इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि किराया नियंत्रक अधिनियम की धारा 32 के उद्देश्य के लिए न्यायालय नहीं था। नतीजतन, उन्होंने आवेदन को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता उस आदेश के खिलाफ इस अदालत में पुनरीक्षण के लिए आया है।

3. अधिनियम की धारा 32 बल कर्मियों के मुकदमे के संबंध में प्राथमिकता से संबंधित है। वह इस प्रकार है:-

"32. *वायु सेना के कर्मियों के मुकदमे के संबंध* में प्राथमिकता।–

- (1) इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से उचित वायु सेना प्राधिकरण से किसी न्यायालय को किसी वाद या अन्य कार्यवाही का मुकदमा चलाने या बचाव करने के उद्देश्य से अवकाश की अनुमति दिए जाने या उसके लिए आवेदन किए जाने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर, न्यायालय, ऐसे व्यक्ति के आवेदन पर, इस तरह से दिए गए या आवेदन किए गए अवकाश की अवधि के भीतर ऐसे वाद या अन्य कार्यवाही की सुनवाई और अंतिम निपटान के लिए, जहां तक संभव हो, व्यवस्था करेगा।
- (2) उचित वायु सेना प्राधिकरण के प्रमाण पत्र में छुट्टी या इच्छित छुट्टी के पहले और अंतिम दिन का उल्लेख होगा, और उस मुकदमा का विवरण दिया जाएगा जिसके संबंध में छुट्टी दी गई थी या जिसके लिए आवेदन किया गया था।
- (3) * * * * *
- (4) * * *
- (5) * * * *

यह सर्वविदित है कि अधिकांश मामलों में अदालतों में कार्यवाही लंबी होती है और वादियों को अपने विवादों को निपटाने में बहुत समय लगता है।यह भी देखा गया है कि अदालतों में बड़ी संख्या में लंबित मामलों को देखते हुए उन्हें लंबे समय तक स्थगन देना पड़ता है। लगभग सभी मामलों में प्रतिवादी वैध या अवैध तरीकों से कार्यवाही को और लंबा करना चाहते हैं। रक्षा सेवाओं में सेवारत व्यक्ति बहुत विकलांग/ मज़बूर होते हैं यदि उनके मामलों का निर्णय नियमित रूप से किया जाता है क्योंकि वे सेवा की आवश्यकताओं को देखते हुए उनकी पैरवी में असमर्थ होते हैं। वायु सेना के कर्मियों की कठिनाई को कम करने के लिए, अधिनियम में धारा 32 को शामिल किया गया है तािक उनके मामलों का शीघ्रता से निर्णय लिया जा सके।

4. अधिनियम में शब्द 'कोर्ट' विशेष रूप से परिभाषित नहीं किया है. हालाँकि, समय-समय पर अदालतों द्वारा इसकी व्याख्या की जाती *है। कूपर* बनाम विल्सन और अन्य (1) में 'न्यायिक' और 'अर्ध-न्यायिक' शब्दों को निम्नानुसार परिभाषित किया गया था:—

"एक सच्चा न्यायिक निर्णय दो या दो से अधिक पक्षों के बीच मौजूदा विवाद को पूर्व-मान लेता है, और फिर इसमें चार माँगें शामिल होती हैं:—(I) विवाद के पक्षकारों द्वारा अपने मामले की प्रस्तुति (आवश्यक रूप से मौखिक रूप से नहीं); (2) यदि उनके बीच विवाद तथ्य का प्रश्न है, तो विवाद के पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के माध्यम से और अक्सर साक्ष्य पर पक्षों द्वारा या उनकी ओर से तर्क की सहायता से तथ्य का पता लगाना; (3) यदि उनके बीच विवाद कानून का प्रश्न है, तो पक्षों द्वारा कानूनी तर्क प्रस्तुत करना; और (4) एक निर्णय जो विवाद में तथ्यों पर निष्कर्ष निकालकर और इस तरह पाए गए तथ्यों पर देश के कानून को लागू करके पूरे मामले का निपटारा करता है, जिसमें कानून के किसी भी विवादित प्रश्न पर निर्णय की आवश्यकता भी

शामिल है। एक अर्ध-न्यायिक निर्णय दो या दो से अधिक पक्षों के बीच मौजूदा विवाद को समान रूप से पूर्वनिर्धारित करता है और इसमें (1) और (2) शामिल होते हैं, लेकिन आवश्यक रूप से इसमें (3) शामिल नहीं होता है और इसमें कभी भी (4) शामिल नहीं होता है। (4) का स्थान वास्तव में प्रशासनिक कार्रवाई द्वारा लिया जाता है, जिसका चरित्र मंत्री की स्वतंत्र पसंद द्वारा निर्धारित किया जाता है।"

इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय की कई न्यायिक घोषणाएँ हैं ।ब्रजनंदन सिन्हा बनाम ज्योति नारायण (2) में, यह प्रश्न उठा कि क्या लोक सेवक (प्छताछ) अधिनियम (1850 का 37) के तहत नियुक्त एक आयुक्त न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1952 में उपयोग किए गए शब्द के अर्थ के भीतर एक न्यायालय था। न्यायाधीश भगवती ने न्यायालय की ओर से बोलते हुए कहा कि इस शब्द के सख्त अर्थों में न्यायालय का गठन आदेश के लिए एक आवश्यक शर्त यह है कि न्यायालय के पास न्यायिक न्यायाधिकरण के कुछ अंशों के अलावा, निर्णय या एक निश्चित निर्णय देने की शक्ति होनी चाहिए जिसमें अंतिमता और प्राधिकार हो जो न्यायिक घोषणा की आवश्यक कसौटी हो। इस संबंध में विरिंदर कुमार सत्यवादी बनाम पंजाब राज्य (3) का भी उल्लेख किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के उनके अधिपत्य की निम्नलिखित टिप्पणियों को लाभ के साथ पढ़ा जा सकता है:-

"अदालत को अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरण से जो बात अलग करती है, वह यह है कि उस पर न्यायिक तरीके से विवादों का फैसला करने और एक निश्चित निर्णय में पक्षों के अधिकारों की घोषणा करने का कर्तव्य है। न्यायिक तरीके से यह निर्णय लेने के लिए कि पक्षकार अपने दावे के समर्थन में सुनवाई के अधिकार के मामले के रूप में और इसके प्रमाण में साक्ष्य प्रस्तुत करने के हकदार हैं।

और यह प्राधिकरण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करने और कानून के अनुसार निर्णय लेने का दायित्व भी रखता है। इसलिए जब यह सवाल उठता है कि क्या किसी अधिनियम द्वारा बनाया गया प्राधिकरण अर्ध-न्यायिक

न्यायाधिकरण से अलग न्यायालय है, तो यह तय किया जाना चाहिए कि क्या अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इसमें न्यायालय के सभी गुण हैं।"

5. किराया अधिनियम के तहत किराया नियंत्रक को साक्ष्य दर्ज करने और पक्षों या उनके वकील को स्नने के बाद भूमि मालिकों और किरायेदारों के बीच विवादों का फैसला करने का अधिकार दिया गया है। धारा 4 उसे उचित किराया निर्धारित करने और धारा 13 को किरायेदारों को बेदखल करने का आदेश देने के लिए अधिकृत करती है। धारा 16 के तहत उसे गवाहों को बुलाने और उनकी उपस्थिति को लागू करने और सबूत पेश करने के लिए मजबूर करने की वही शक्तियां मिली हैं जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत अदालत में निहित हैं। वह म्कदमे के पक्षकारों के बीच तथ्य के प्रश्नों के साथ-साथ कानून के प्रश्नों को भी तय करता है। उसके पास किराया अधिनियम में उल्लिखित मामलों को तय करने का विशेष अधिकार क्षेत्र भी है। इस प्रकार उसके पास न्यायालय के सभी अधिकार हैं। यह उल्लेख करना अन्चित नहीं होगा कि किराया नियंत्रक के आदेश के खिलाफ धारा 15 (1) के तहत अपीलीय प्राधिकरण में अपील की गई है और किराया अधिनियम की धारा 15 (5) के तहत उच्च न्यायालय में अपीलीय प्राधिकरण के आदेश के खिलाफ प्नरीक्षण किया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अपीलों और संशोधनों को स्नने के लिए एक पदान्क्रम प्रदान किया गया है। यह रेखांकित किया जा सकता है कि संशोधन उच्च न्यायालय के पास हैं। इसलिए, किराया नियंत्रक न्यायालय के सभी परीक्षणों को पूरा करता है, जैसा कि ऊपर उल्लिखित विभिन्न मामलों में निर्धारित किया गया है।

6. उपरोक्त दृष्टिकोण में मुझे इस न्यायालय के पूर्ण पीठ के मुक़दमा श्रीमती. विद्या *देवी विधवा रामजी दास बनाम फर्म* मदन लाई प्रेम कुमार (4) से पूर्ण समर्थन मिलता है *। उस*

मामले में सवाल यह था कि क्या किराया अधिनियम के तहत अपीलीय प्राधिकरण को धारा 479-ए, दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करना करने का अधिकार था, कि याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 193 के तहत शिकायत क्यों दर्ज नहीं की जाए, जिसने किराया नियंत्रक के समक्ष झूठी गवाही दी थी। न्यायाधीश बाल राज तुली ने पीठ की ओर से बोलते ह्ए कहा कि किराया नियंत्रक और अपीलीय प्राधिकरण उनके समक्ष की जाने वाली कार्यवाही का निर्णय न्यायिक तरीके से करते हैं। किराया नियंत्रक और अपीलीय प्राधिकरण के उस ग्ण से यह पता चला कि वे केवल न्यायाधीशालय नहीं थे, बल्कि भारतीय दंड संहिता की धारा 20 में परिभाषित न्यायाधीश के न्यायाधीशालय थे। उन्होंने आगे कहा कि अपीलीय प्राधिकरण को याचिकाकर्ता को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 479-ए के तहत नोटिस जारी करने का अधिकार है ताकि यह बताया जा सके कि उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 193 के तहत शिकायत क्यों दर्ज नहीं की जानी चाहिए। इसी तरह का विचार के. चलपति राव बनाम बी. एन. रेड्डी और *अन्य (5) मामले* में आंध्र *प्रदेश उच्च न्यायालय की* एक खण्ड पीठ द्वारा लिया गया था। माननीय पीठ की प्रासंगिक टिप्पणियां इस प्रकार हैं:-

"कि किराया नियंत्रक को किरायेदारों को बेदखल करने और सुविधाओं की बहाली के मामलों को तय करने के लिए विशेष अधिकार क्षेत्र मिला है। यदि वे न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के दौरान उत्पन्न होते हैं तो उन्हें कानून के प्रश्नों पर निर्णय लेने का भी अधिकार है। उसके पास किसी भी व्यक्ति को बुलाने, शपथ पर गवाह की जांच करने और प्रस्तुत किए गए साक्ष्य और प्रस्तुत किए गए तर्कों पर निष्कर्ष पर पहुंचने की शक्ति है। पक्षकार कानूनी व्यवसायियों द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के हकदार हैं। उसे अपने द्वारा पारित आदेशों को लागू करने के लिए शक्ति मिली है। किराया नियंत्रक का निर्णय किसी निजी संदर्भ पर आधारित नहीं

होता है और न ही उसका निर्णय संक्षिप्त तरीके से लिया जाता है। आंध्र प्रदेश भवन (पट्टा, किराया और बेदखली) नियंत्रण अधिनियम, 1960 की धारा 22 के प्रावधानों को देखते हुए इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि किराया नियंत्रक उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है। इसलिए, किराया नियंत्रक अदालत की अवमानना अधिनियम की धारा 3 की शतों के भीतर उच्च न्यायालय का अधीनस्थ न्यायालय है।

दौलत राम बनाम गिरधारी लाल (6) मामले में पूर्ण पीठ के फैसले के बाद इस न्यायालय के एक माननीय एकल न्यायाधीश ने कहा कि किराया अधिनियम के तहत अपीलीय प्राधिकरण दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 (1) (बी) द्वारा प्रदान की गई परिभाषा को देखते हुए एक दीवानी न्यायालय था। उपरोक्त मामलों में अनुपात वर्तमान मामले पर लागू होगा।

7. प्रतिवादी के माननीय अधिवक्ता ने राम दत्त गुप्ता बनाम वित्तीय आयुक्त और एक अन्य (7) और सावन राम बनाम गोबिंद राम और एक अन्य (8) का संदर्भ दिया। राम दत्त गुप्ता के मामले (ऊपर) में, निर्णय के लिए सवाल यह था कि क्या किराया नियंत्रक के समक्ष कार्यवाही दूषित/अपर्याप्त हो गई क्योंकि वह मृद्दों को तैयार करने में विफल रहा। उस संदर्भ में, एक खण्ड पीठ द्वारा टिप्पणियां की गईं, जिसमें मैं एक पक्षकार था, कि नियंत्रक एक दीवानी न्यायालय नहीं था और दीवानी प्रक्रिया संहिता के प्रावधान लागू नहीं होते थे। मेरे विचार में, प्रतिवादी के लिए माननीय अधिवक्ता उपरोक्त टिप्पणियों से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मैं यह समझने में असमर्थ हं कि सावन राम का मामला (ऊपर) प्रतिवादी की कैसे मदद करता है। उस मामले में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सिविल न्यायालय के पास बेदखली के लिए म्कदमा की स्नवाई करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था जहां किराया अधिनियम लागू था। उपरोक्त टिप्पणियों से यह स्पष्ट है कि किराया अधिनियम के अंतर्गत आने वाले मामलों का निर्णय

उस अधिनियम के तहत न्यायालयों द्वारा किया जाना है न कि दीवानी न्यायालयों द्वारा। मेरे विचार में, उपरोक्त टिप्पणियाँ प्रतिवादी के बजाय याचिकाकर्ता की मदद करती हैं।

- 8. उपरोक्त चर्चा से यह पता चलता है कि किराया नियंत्रक और किराया अधिनियम के तहत अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम की धारा 32 के अर्थ के भीतर अदालतें हैं और यदि वायु सेना का कोई कर्मी उस धारा के संदर्भ में उचित वायु सेना प्राधिकरण से प्रमाण पत्र दाखिल करता है, किराया नियंत्रक मामले का शीघ्रता से निर्णय लेने के लिए बाध्य है जैसा कि उस धारा में विचार किया गया है।
- 9. उपरोक्त कारणों से मैं पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करता हूं, किराया नियंत्रक के आदेश को दरिकनार करता हूं और उसे अधिनियम की धारा 32 के अनुसार मामले पर निर्णय लेने का निर्देश देता हूं। पक्षकारों को 10 अप्रैल, 1980 को किराया नियंत्रक के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। पुनरीक्षण याचिका में खर्च मुकदमा का खर्च होगा।

एच. एस. बी

न्यायमूर्ति जे. वी. गुप्ता के समक्ष तारा चंद चंदानी-याचिकाकर्ता।

बनाम

शशि भूषण गुप्ता,-प्रतिवादी। सिविल संशोधन *सं.* 946/1978।

9 अप्रैल, 1980।

पूर्वी पंजाब शहरी किराया प्रतिबंध अधिनियम (1949 का III)-धारा 2 (डी) (जी) और (एच)-चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम (1949 का XXXVIII)-धारा 2 (ई) और 2 (2)-चार्टर्ड एकाउंटेंट विनियम, 1964-विनियम 166 से 168-आवासीय भवन किराए पर एक चार-4 टेरड, एकाउंटेंट को एक कार्यालय के रूप में उपयोग के लिए-ऐसी इमारत-चाहे किराया अधिनियम की धारा 2 (डी) के संदर्भ में आवासीय होना बंद हो जाए-> चार्टर्ड एकाउंटेंसी-चाहे 'पेशा'-शब्द 'पेशा'-चाहे 'व्यवसाय' या 'व्यापार' शब्द में शामिल हो।

माना जाता है कि पूर्वी पंजाब शहरी किराया प्रतिबंध अधिनियम, 1949 की योजना के अवलोकन और उसमें उपयोग किए गए शब्दों से यह स्पष्ट है कि 'व्यवसाय' या 'व्यापार' और 'पेशा' शब्द का उपयोग उद्देश्यपूर्ण रूप से किया गया है जिसका अर्थ अलग है।ऐसा हो सकता है कि कभी-कभी 'व्यवसाय' शब्द में 'पेशा' शामिल हो सकता है क्योंकि 'व्यवसाय' एक व्यापक शब्द है, लेकिन अधिनियम की धारा 2 (डी) में उपयोग किए गए 'व्यवसाय' शब्द में 'पेशा' शामिल होगा या नहीं, यह अधिनियम की योजना पर निर्भर करेगा। चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 2 (ई) और 2 (2) के साथ-साथ चार्टर्ड एकाउंटेंट विनियम, 1964 के विनियम 166 से 168 को पढ़ने से यह पता चलता है कि चार्टर्ड एकाउंटेंट एक ऐसा पेशा है जो 'व्यवसाय' और 'व्यापार' से अलग है।अधिनियम की धारा 2 (डी) एक गैर-आवासीय भवन को परिभाषित करती है, धारा 2 (जी) परिभाषित करती है।

अस्वीकरण - स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है तािक वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देशय के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है | सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा

राजीव शर्मा